उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या 3887/III(2)18–41(रि0या0)/2013
देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

विषय :– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों को मानदेय दर की अनुमन्यता का पुनर्निर्धारण

कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विवादों की मध्यस्थता हेतु नियुक्त मध्यस्थतों हेतु अनुमन्य मानदेय की दरें, निर्धारित की गयी थी।

2– वर्तमान में मध्यस्थों की उचित मानदेय की दरें पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए समुचित विचारोपरान्त नियुक्त सेवानिवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए मानदेय की निम्नानुसार संशोधित दरें श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमन्य करते हैं :–

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं के किसी एक विवाद में मध्यस्थता में सुनवाई के लिये प्रतिदिन की दरे से मानदेय, जोकि अधिकतम सीमान्तर्गत निम्नानुसार देय होगी :–

क्र0 सं0	दावे(Claim)की धनराशि	स्थानीय सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अन्य स्थान पर सुनवाई की स्थिति में मानदेय की प्रतिदिन की दर (धनराशि ₹ में)	अधिकतम मानदेय की धनराशि
1	05 करोड़ तक	4000/–	6000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 4.00 लाख, जो भी कम हो।
2	05 करोड़ से 10 करोड़ तक	7500/–	10000/–	दावे की धनराशि का 1% अथवा रू0 8.00 लाख, जो भी कम हो।
3	10 करोड़ से अधिक	10000/–	12500/–	रू0 12.00 लाख।

3– आर्बीट्रेशन की सुनवाई के दिनों में रीडिंग, सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल व अवार्ड के प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज के रूप में वास्तविक व्यय देय होगा, जो कि निम्नानुसार अधिकतम सीमान्तर्गत होगा :–

रीडिंग चार्जेज,	अधिकतम सीमा ₹ 5000
सेक्रेटेरियेट असिस्टेंस/इंसीडेंटल चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000
प्रकाशन/डेलिगेशन चार्जेज	अधिकतम सीमा ₹ 7000

4– कार्यालय ज्ञाप संख्या–6073/III(2)15–41(रि0या0)/2013 दिनांक 06 अगस्त, 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5— उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—229/XXVII/(2)/2018 दिनांक 30 जुलाई, 2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्या 3087/III(2)18—41(रि0या0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त वृत्त/खण्ड के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
5. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. लोक निर्माण अनुभाग—1 व 3
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड
देहरादून

प०सं०-608 /44 आर्थि० आता०क/18 दि-06-8-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० ------ उत्तराखण्ड।
(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता --- वा वृत्त लो०नि०वि०, ------
(3) समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा०/नि०/अ० खण्ड लो०नि०वि० ------
(4) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
(5) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I/II कार्या० प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि०दे०दून
(6) वरिष्ठ प्रशा०/प्रशा० अधिकारी नियो० II/III/विधिप्रकोष्ठ वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्या० लो० नि० वि० देहरादून।
(7) गार्ड पत्रावली हेतु,
(8) अधि० अभि० आई०टी० सैल कार्या० ~~प्रमुख अभि० एवं विभागाध्यक्ष~~ को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(हस्ताक्षर) 6/8/18

अधिशासी अभियन्ता
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून